न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 258/2021 तारीख रजू:– 07.04.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1. श्रीमती गीतादेवी पत्नि श्री देवीसहाय दत्तात्रेय जाति ब्राहम्ण निवासी झारेडा रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. श्रीमती रेखा शर्मा पत्नि श्री गोविन्द नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बयाना मोड हिण्डौन सिटी जिला करौली —————————— वादीयागण

बनाम

1. श्यामबाबू | पिसरान रामजीलाल | जाति ब्राहम्ण
2. ओमप्रकाश | निवासी जलसेन के पास
3. जयप्रकाश | करौली रोड हिण्डौन
4. मनोहरलाल | जिला करौली
5. श्रीमती मंजूदेवी पत्नि राजेन्द्र कुमार
6. अश्विनी शर्मा उर्फ सन्नी | पिस0 राजेन्द्र कुमार
7. निशांत शर्मा उर्फ संजय |
8. निधि शर्मा पुत्री राजेन्द्र कुमार
9. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली लैण्ड होल्डर —— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती तकास्मा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट वादीयागण
2.श्री कृष्णमोहन शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी [illegible]
3.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Si
Date: 2022.06.18 12:32:41
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक :– 28/02/20

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीयागण ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खाता संख्या 1862 वर्तमान खाता संख्या 1959 खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 वाके कस्बा हिण्डौन जिला करौली है। जो कि प्रतिवादी सं01 ता 4 के नाम तथा प्रतिवादी सं05 के पति व प्रतिवादी सं0 6 ता 8 के पिता राजेन्द्र कुमार के नाम बहिस्सा 1/2 खातेदारी रही है। उक्त इन्द्राज जमाबन्दी सं0 2063–68 में बखूबी दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादीयागण ने दिनांक 11.10.2010 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 आराजी को प्रतिवादी सं01ता 4 तथा प्रतिवादी सं05 के पति व प्रतिवादी सं0 5 ता 7 के पिता राजेन्द्र कुमार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 1.10.2010 की अनुपालना में वादीयागण का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 3663दिनांक 28.10.2010 जमाबन्दी में इन्द्राज हो गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 3663 दिनांक 28.10.2010 की पालना में खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 में वादीयागण को बहिस्सा 5/14 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। नामान्तकरण संख्या 3663 दिनांक 28.10.2010 आज भी प्रभाव में है, अस्तित्व में है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण संख्या 3663 दिनांक 28.10.2010 की पालना में वादीगण का नाम जमाबन्दी सम्बत् 2063–66 तथा सम्बत् 2067–70 में बतौर खातेदार काश्तकार बहिस्सा 5/14 बखूबी दर्ज है। किन्तु तत्पश्चात की जमाबन्दी सम्बत् 2071–74 में नामान्तकरण संख्या 3663 का उल्लेख तो है किन्तु वादीयागण का नाम बतौर खातेदार बहिस्सा 5/14 दर्ज नहीं है तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी वादीयागण का नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री के हजफ कर दिया गया है जो कि राजस्व अधिकारियों की घोर लापरवाही का प्रतीक है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादीयागण ने दिनांक 12.01.2021 को उक्त जमाबन्दी में संशोधन किये जाने के लिए व खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 में बहिस्सा 5/14 उनका नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के लिए तहसीलदार हिण्डौन से निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए दिनांक 15.02.2021 को

Signature Not Ve
Digitally signed by A
Date: 2022.06.18 12
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आदेश फरमाया है। इसलिए यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजिमी हुआ है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं09 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 12.01.2021 को तहसीलदार हिण्डौन सिटी के समक्ष जमाबन्दी में संशोधन किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र वादीयागण द्वारा प्रस्तुत करने तथा दिनांक 15.02.2021 को तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय में चाराजोई करने का आदेश फरमाये जाने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

अतः दावा वादीयागण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर नामान्तकरण सं0 3663 दिनांक 28.10.2010 की पालना में वादीयागण का नाम जमाबन्दी सं0 2063–66 तथा सम्बत् 2067–70 में बतौर खातेदार काश्तकार बहिस्सा 5/14 बखूबी दर्ज था जिसे तत्पश्चात की जमाबन्दी सं0 2071–74 में इन्द्राज नहीं किया है, जिसे दुरूस्त किया जाकर पुनः वादीयागण का नाम नामान्तकरण सं0 3663 के अनुसार दर्ज फरमाया जावे। आराजी खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 में वादीयागण को 5/14 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा वादीयागण की अलग से जमाबन्दी व अलग लगान कायम किया जावे। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीयागण के 5/14 हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को रहन व्यय ना करें, वादीयागण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वंय उत्पन्न करें और ना ही किसी अन्य को प्रेरित करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं01 ता 8 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। तथा दिनांक 15.02.2022 को वादीयागण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया ।

वकील वादीयागण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.12.2010 उनवानी श्यामबाबू ओमप्रकाश राजेन्द्र कुमार जयप्रकाश,

Signature Not Ve
Digitally signed by An
Date: 2022.06.18 12:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मनोहरलाल पिसरान रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन– विक्रेतागण बहक श्रीमती गीतादेवी धर्म पत्नि श्री देवीसहाय दत्तात्रेय जाति ब्राहम्ण निवासी झारेडा रोड हिण्डौन व श्रीमती रेखा शर्मा पत्नि श्री गोविन्द नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बयाना रोड हिण्डौन बहिस्सा बराबर केतागण, नकल नामान्तरकरण संख्या 3663 फैंसल दिनांक 28.10.2010, नकल जमाबन्दी सं0 2063–66, नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल [illegible] व वादीयागण द्वारा तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 12.01.2021 मय आदेशिका सम्पूर्ण, पेश किये हैं।

वादीयागण एवं प्रतिवादी सं01 ता 8 के अधिवक्तागण उपस्थित वादीयागण एवं प्रतिवादी सं01ता 8 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, उन अधिवक्ताओं ने दौराने बहस राजीनामा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है व मुताविक राजीनामा वादीयागण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीयागण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.12.2010 उनवानी [illegible] ओमप्रकाश राजेन्द्र कुमार जयप्रकाश, मनोहरलाल पिसरान रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन– विक्रेतागण बहक श्रीमती गीतादेवी धर्म पत्नि श्री देवीसहाय दत्तात्रेय जाति ब्राहम्ण निवासी झारेडा रोड हिण्डौन व श्रीमती रेखा शर्मा पत्नि श्री गोविन्द नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बयाना रोड हिण्डौन बहिस्सा बराबर केतागण के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में निहित इन विक्रेतागण के हिस्सा 1/2 भाग की भूमि में से 0.20 है0 भूमि का विकय किया गया है तथा विकीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर केतागण को संभलाना अंकित किया है। इस प्रकार केतागण (वादीयागण) का उक्त भूमि में 5/14 हिस्सा है।

नकल नामान्तकरण संख्या 3663 फैंसल दिनांक 28.10.2010 संख्या रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.10.2010 के आधार पर वादीयागण के हक में भरकर तहसीलदार हिण्डौन द्वारा तस्दीक किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी

Signature Not Verif
Digitally signed by And
Date: 2022.06.18 12:32
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

18/1/16 2021

श्यामबाबू, ओमप्रकाश राजेन्द्र कुमार जयप्रकाश मनोहरलाल पि0 रामजीलाल हि0 ब0 हिस्सा 1/2, कल्याण प्रसाद पुत्र गोरेलाल हि01/2 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3663 फैंसल दिनांक 28.10.2010 के द्वारा श्यामबाबू, ओमप्रकाश राजेन्द्र कुमार जयप्रकाश मनोहरलाल पि0 रामजीलाल हि0 ब0 हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 के बजाय श्रीमती गीतादेवी धर्म पत्नि श्री देवीसहाय दत्तात्रेय जाति ब्राहम्ण निवासी झारेडा रोड हिण्डौन व श्रीमती रेखा शर्मा पत्नि श्री गोविन्द नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बयाना रोड हिण्डौन हिस्सा 5/14, श्यामबाबू, ओमप्रकाश राजेन्द्र कुमार जयप्रकाश मनोहरलाल पि0 रामजीलाल हि0 ब0 हिस्सा 1/7 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार स्वीकार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार का अंकन जमाबन्दी सं0 2067–70 में भी दर्ज है जो नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अवलोकन से स्पष्ट है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्यामबाबू ओमप्रकाश राजेन्द्र कुमार जयप्रकाश मनोहरलाल पिसरान रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा नामान्तकरण सं0 3663 अंकित है किन्तु वादीयागण का नाम अंकित नहीं है।

नकल प्रार्थना पत्र वादीयागण द्वारा तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 12.01.2021 मय आदेशिका सम्पूर्ण के अनुसार वादीयागण के द्वारा दिनांक 12.01.2021 को तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष खसरा नम्बर 3540 वाके कस्बा हिण्डौन की जमाबन्दी में संशोधन बाबत् पेश किया है। जिसमें तहसीलदार हिण्डौन ने दिनांक 15.02.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीयागण को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के न्यायालय में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करने के आदेश दिये हैं।

वादीयागण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 के द्वारा दिनांक 15.02.2022 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 कस्बा हिण्डौन में वादीयागण को 4/14 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं वादीयागण का

Signature Not Ve
Digitally signed by Ar
Date: 2022.06.18 12:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अलग से जमाबन्दी व अलग लगान कायम किये जाने पर अपनी सहमति जताई है। मुताबिक राजीनामा वादीयागण का दावा डिक्री फरमाया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2010 से विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 कस्बा हिण्डौन के खातेदार श्यामबाबू, ओमप्रकाश राजेन्द्र कुमार जयप्रकाश मनोहरलाल पि0 रामजीलाल हि0 ब0 हिस्सा 1/2 में से रकबा 0.20 है0 भूमि को वादीयागण के द्वारा क्रय किया गया है अर्थात खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 कस्बा हिण्डौन में हिस्सा 5/14 भाग की भूमि को वादीयागण के द्वारा क्रय किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीयागण के हक में नामान्तकरण सं0 3663 भरा जाकर तहसीलदार हिण्डौन द्वारा दिनांक 28.10.2010 को तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी सं0 2063–66 की जमाबन्दी में भी नोट अंकित हो गया जो नोट जमाबन्दी सं0 2067–70 में भी बदस्तूर रहा है किन्तु जमाबन्दी सं0 2071–74 में उक्त नोट विलुप्त हो गया है तथा खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी पूर्व खातेदार (विक्रेतागण) के नाम बदस्तूर जमाबन्दी में दर्ज कर दी गई है। वादीयागण एवं श्यामबाबू, ओमप्रकाश जयप्रकाश मनोहरलाल पि0 रामजीलाल एवं राजेन्द्र कुमार के वारिसान प्रतिवादी सं0 5 ता 8 ने दिनांक 15.02.2022 को राजीनामा पेश किया है जिसमें उक्त विक्रय पत्र सही होना एवं उसके आधार पर नामान्तकरण सं0 3663 का भरा जाना एवं उक्त नामान्तकरण का नोट राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2066–67 एवं 2070–70 में दर्ज होना सही बताया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के हक में खातेदारी किया जाना सही बताया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 कस्बा हिण्डौन में वादीयागण को हिस्सा 5/14 की खातेदारी दर्ज करने एवं उसका अलग खाता कायम करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है बल्कि अपनी पूर्ण सहमति जताई है तथा मुताबिक रा[illegible] का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार वादीयागण [illegible] विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 कस्बा हिण्डौन में [illegible] 5/14 की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की पूर्ण रूपेण अधिकारी साबित हैं तथा अपने हिस्से की आराजीयात का पृथक खाता व लगान कायम कराने की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Ve
Digitally signed by An
Date: 2022.06.18 12:
Reason: SelfAttested

पूर्ण अधिकारी साबित हैं।ऐसे हालात में वादीयागण का दावा वादीयागण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों एवं पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा दिनांक15.02.2022 के आधार पर डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीयागण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादीयागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत एवं मुताविक राजीनामा दिनांक 15.02.2022 के आधार पर डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3540 रकबा 0.56 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादीयागण को बहिस्सा बराबर हिस्सा 5/14 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 1लगायत 4 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 36/70 भाग एवं प्रतिवादी सं0 5 लगायत 8 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 9/70 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Ver
Digitally signed by An
Date: 2022.06.18 12:3
Reason: SelfAttested